आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
c **10/01/2022**	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 आर0 पुनरीक्षण** 126/2011 प्रदीप कुमार लाहिरी बनाम सुन्दर मुण्डा व अन्य **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद प्रदीप कुमार लाहिरी द्वारा सुन्दर मुण्डा एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया था। जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 आर0 अपील–20R/20R15/2009-10 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। खाता नम्बर–28, प्लॉट नम्बर–127, रकबा–1.43 एकड़, ग्राम–कटहलगोन्दा, बरियातु, राँची में अवस्थित भूमि बड़का पुसुवा मुण्डा के नाम से दर्ज है। विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि के वापसी हेतु आवेदन दिया गया। जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भू–वापसी का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि में से 40 कट्ठा भूमि अब्दुल मनान को 1948 में हस्तांतरित की गयी थी। उक्त भूमि के लिये कन्दरू मुण्डा जो खतियानी रैयत के पुत्र थे के द्वारा Title Suit-116/68 दायर किया गया था जिसमें अब्दुल मनान के पक्ष में डीक्री प्राप्त हुआ। प्रश्नगत् भूमि पर अब्दुल मनान के द्वारा 1952 में मकान का निर्माण किया गया। उसी 40 कट्ठा भूमि में से 20 कट्ठा भूमि शौकत अली को हस्तांतरित हुई, जिनके द्वारा 04 कट्ठा भूमि प्रफुल्ल सेन को बिक्री की गयी। उक्त प्रफुल्ल सेन के द्वारा निबंधित केवाला से भूमि विपक्षियों को हस्तांतरित की गयी, जिसके पश्चात् उनके नाम से नामांतरण भी किया गया। इसी प्लॉट के संबंध में एक अन्य भू–वापसी वाद–515/94-95 दायर हुआ था, जिसमें मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया था। इसी भूमि के संबंध में कई अन्य भू–वापसीवाद दायर हुये थे, जिसमें भूमि के हस्तांतरण को विनियमित किया जा चुका है। प्रश्नगत् भूमि पर आवेदकों का सम्पूर्ण दखल कब्जा है एवं भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है। विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि उनकी खतियानी रैयती भूमि है तथा निम्न् न्यायालयों द्वारा भू–वापसी के आदेश पारित किये जा चुके हैं। आवेदक द्वारा उल्लेखित भू–वापसी के विभिन्न वाद आवेदकों के विरूद्ध दायर नहीं किये गये थे। अतः यह विषय रेस–जुड़ीकाटा से प्रभावित नहीं होता है। प्रश्नगत् वाद में उभय पक्षों के द्वारा दिनांक–16.09.2019 को अंतिम हाजिरी दर्ज की गयी। उक्त तिथि के पश्चात् सुनवाई हेतु उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। इस वाद में दिनांक–18.10.2021 को तथा दिनांक–28.12.2021 को सुनवाई हेतु	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	अंतिम मौका दिया गया था। किन्तु उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक–06.01.2022 को कोई पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। निम्न् न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से तथा आदेश से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है। आवेदकों के द्वारा खतियानी रैयत के पुत्र से 1948 में प्रश्नगत् भूमि के हस्तांतरण का दावा किया गया है साथ ही Title Suit-113/68 में अपने पक्ष में डीक्री प्राप्त होने का भी दावा किया गया है; किन्तु इस न्यायालय में अथवा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रश्नगत् भूमि के किये गये निर्माण के संबंध में भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे कि उक्त निर्माण 1952 में किये जाने की पुष्टि होती हो। उपायुक्त न्यायालय में यह स्पष्ट हुआ कि आवेदकों के तरफ से भूमि के हस्तांतरण के बिन्दु पर अलग–अलग दावे किये गये हैं। किसी भू–वापसी वाद में प्रश्नगत् भूमि के हुकुमनामा के माध्यम से जमींदार द्वारा दिये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि उपायुक्त न्यायालय में उक्त भूमि 1948 में खतियानी रैयत के पुत्र से क्रय किये जाने का उल्लेख है। यह भी स्पष्ट है कि 1948 में आदिवासी भूमि के क्रय हेतु उपायुक्त के अनुमति आवश्यक थी, जो प्रश्नगत् मामले में उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा अन्य भू–वापसी वादों का उल्लेख भी किया गया है, जो उसी प्लॉट के अन्य हिस्सों से संबंधित है किन्तु उक्त किसी भी वाद आवेदक पक्षकार नहीं रहे है। अतः उक्त वादों को आधार बनाकर इसे रेस जुड़ीकाटा का मामला नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन में कोई नया तथ्य नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् विस्तृत आदेश पारित किया गया है। आवेदकों की तरफ से 1986 का एक निबंधित केवाला भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो शौकत अली, अब्दुल रसीद एवं प्रफुल्ल सेन के बीच है। उक्त केवाला में साक्षी के रूप में छोटु मुण्डा व रामू मुण्डा के नाम दर्ज है, जिसे इस संदेह को बल मिलता है कि शौकत अली तथा अब्दुल रसीद के द्वारा अपने पूर्ण जानकारी में आदिवासी रैयती भूमि की बिक्री की गयी है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI Date: 2022.08.03 15:46:20 +05:30 Location: 192.168.1.40 आयुक्त। आयुक्त।	